The Uttar Pradesh (Temporary) Control of Rent and Eviction (Sanshodhan) Adhiniyam, 1963

Act 18 of 1963

Keyword(s):
Uttar Pradesh (Temporary) Control of Rent and Eviction Act, 1947, Extension Act

Amendments appended: 9 of 1971, 27 of 1971, 29 of 1971,

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

114918

L.A
15963-18
15

THE U. P. (TEMPORARY) CONTROL OF RENT AND EVICTION (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1963*

(U. P. ACT NO. XVIII OF 1963)

(*Authoritative English text*† *of the Uttar Pradesh (Temporary) Control of Rent and Eviction (Sanshodhan) Adhiniyam,* 1963.)

AN
ACT

to amend the U. P. (Temporary) Control of Rent and Eviction Act, 1947 *for the purpose of extending its life.* U. P. Act III of 1947.

IT IS HEREBY enacted in the Fourteenth Year of the Republic of India as follows :

Short title.

1. This Act may be called the U. P. (Temporary) Control of Rent and Eviction (Sanshodhan) Adhiniyam, 1963.

Amendment of section 1 of U. P. Act III of 1947.

2. In sub-section (4) of section 1 of the U. P. (Temporary) Control of Rent and Eviction Act, 1947, *for* the figure "1963" the figure "1969" shall be substituted.

(*For Statement of Objects and Reasons, please *see U. P. Gazette (Extraordinary)*, dated September 10, 1963.)

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on September 17, 1963 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on September 24, 1963.)

(Received the Assent of the President on September 29, 1963, under Article 201 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary)*, dated September 30, 1963.)

(†Published in the *Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary)*, dated September 30, 1963.)

PSUP—A. P. 96 Genl. (Leg.)—1963. 1,770+50+32. (M)

L.A.15/71.9
Co:2

(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट एन्ड इविक्शन (जारी रखने का) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1971)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 14 दिसम्बर, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 17 दिसम्बर, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।)

("भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 13 जनवरी, 1971 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 18 जनवरी, 1971 ई० को प्रकाशित हुआ।)

यूनाइटेड प्राविन्सेज (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन ऐक्ट, 1947 को अग्रेतर एक वर्ष की अवधि के दौरान जारी रखने की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

1—यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन (जारी रखने का) अधिनियम, 1970 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

2—यूनाइटेड प्राविन्सेज (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन ऐक्ट, 1947 की धारा 1 की उपधारा (4) में संख्या "1970" के स्थान पर संख्या "1971" रख दी जाय। यू० पी० ऐक्ट संख्या 3, 1947 की धारा 1 का संशोधन

3—उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (जारी रखने का) अध्यादेश, 1970 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उ० प्र० अध्यादेश सं० 19, 1970 का निरसन

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 14 दिसम्बर, 1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिए।)

Price 05 Paise

पी०एस०यू०पी०—ए० पी० 329 जनरल (लेग)—1971—1,830 (मे०)।

cop. 2
135654

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल ग्राफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (जारी रखने का) अधिनियम, 1971

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, 1971)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 11–8–1971 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 16–8–1971 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 25–9–1971 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 30–9–71 ई० को प्रकाशित हुआ।]

यूनाइटेड प्राविन्सेज (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल ग्राफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन ऐक्ट, 1947 को अग्रेतर एक वर्ष की अवधि के दौरान जारी रखने की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल ग्राफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (जारी रखने का) अधिनियम, 1971 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

2--यूनाइटेड प्राविन्सेज (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल ग्राफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन ऐक्ट, 1947 की धारा 1 की उपधारा (4) में संख्या "1971" के स्थान पर संख्या "1972" रख दी जाय। यू० पी० ऐक्ट संख्या 3, 1947 की धारा 1 का संशोधन

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 19–7–1971 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।)

135664

(राजस्व प्रकाशन) उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट एण्ड इविक्शन (संशोधन) अधिनियम, 1971

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1971)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 31–8–1971 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 17–9–1971 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 12–11–1971 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 19–11–1971 ई० को प्रकाशित हुआ।]

यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन ऐक्ट, 1947 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये,

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (संशोधन) अधिनियम, 1971 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 30–[illegible]–1971 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।]

Price 05 Paise

नयी [illegible] 7 की धारा 18 के का बढ़ा[illegible] निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

अग्नि, भीड़ कृत हिंसा आदि द्वारा नष्ट किये गये परिस्थानों के किरायेदारों को विशेष संरक्षण

"19—(1) यदि ऐसी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसका कोई भाग, जो किरायेदारी के प्रारम्भ होने के समय इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा शासित परिस्थान था, अग्नि, तूफान, बाढ़ अथवा सामूहिक हिंसा से नष्ट हो जाय अथवा उन प्रयोजनों के लिए जिनके निमित्त वह किराये पर उठाया गया हो अनुपयुक्त हो जाय, तो किरायेदार को, उसे उन प्रयोजनों के निमित्त जिनके लिये वह किराये पर उठाया गया हो उपयुक्त बनाने के उद्देश्य से, अपने व्यय पर पुनर्निर्माण करने या मरम्मत करने का अधिकार होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी क्षति स्वयं किरायेदार के त्रुटिपूर्ण कार्य या चूक क कारण हुई हो तो वह इस उपबन्ध का लाभ उठाने का हकदार न होगा ।

(2) यदि किरायेदार उपधारा (1) के अधीन अपने अधिकार का प्रयोग करके किसी प्रकार का पुनर्निर्माण या मरम्मत करता है, तो—

(क) इस प्रकार पुनर्निर्मित या मरम्मत को गयी सम्पत्ति उसकी किरायेदारी में समाविष्ट समझी जायगी,

(ख) किरायेदार को, किरायेदारी जारी रहने के दौरान या उसकी समाप्ति के पश्चात्, इस प्रकार पुनर्निर्मित या मरम्मत की गयी सम्पत्ति या उसके भाग को गिराने अथवा, सचल किस्म के किन्हीं उपस्करों या फिक्स्चर्स से भिन्न, सम्पत्ति में प्रयुक्त किसी सामग्री को हटाने का हक न होगा ।

(3) धारा 1 की उपधारा (2-ए) के तृतीय प्रतिबन्धात्मक खंड (3) या धारा 1-ए में निहित किसी बात के होते हुए भी—

(क) उपधारा (1) में अभिदिष्ट किसी सम्पत्ति से किरायेदार को बेदखल करने के लिए किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद धारा 3 में अभिदिष्ट अनुज्ञा या आधारों के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर प्रस्तुत नहीं किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (सी) में उल्लिखित आधार पर कोई वाद इस कारण प्रस्तुत नहीं किया जायगा कि किरायेदार ने उपधारा (1) म उल्लिखित परिस्थितियों में व उसमें उल्लिखित प्रकार का पुनर्निर्माण या मरम्मत कराया है ;

(ख) यदि किसी किरायेदार को बेदखल करने के लिये 2 मार्च, 1971 के पश्चात् और उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (संशोधन) अधिनियम, 1971 की प्रवृत्ति के पूर्व कोई ऐसा वाद प्रस्तुत किया गया हो या किसी ऐसे वाद में कोई डिक्री पारित की गई हो, जो यदि वाद संस्थित किये जाने के समय खंड (क) के उपबन्ध प्रवृत्त होते तो संधार्य न होता, तो किरायेदार उक्त अधिनियम के इस प्रकार प्रारम्भ होने के दिनांक से अथवा वाद संस्थित किये जाने की जानकारी होने के दिनांक से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, एक माह के भीतर किरायेदारी के अन्तर्गत परिस्थान के प्रयोग और अध्यासन करने के लिये किराया और क्षतिपूर्ति की ऐसी सम्पूर्ण धनराशि (प्रयोग और अध्यासन करने के लिए ऐसी क्षतिपूर्ति की गणना किराये की दर पर की जायगी) जो उसके द्वारा देय हो, और वाद तथा निष्पादन कार्यवाहियों, यदि कोई हो, के संबंध में मकानदार का पूरा परिव्यय न्यायालय में बिना किसी शर्त के जमा कर सकता है, और तदुपरान्त ऐसे किसी वाद में कोई डिक्री पारित नहीं की जायगी और यदि कोई डिक्री पारित की गई हो तो वह निष्पादित नहीं की जायगी, और यदि कोई डिक्री निष्पादित की गयी हो तो निष्पादक न्यायालय बेदखल किरायेदार के आवेदन-पत्र पर पक्षों को उसी स्थिति में कर देगा जो उनकी होती यदि ऐसी डिक्री पारित नहीं होती, और इस प्रयोजन के लिये सम्पत्ति से डिक्रीदार अथवा उसके अधिकारान्तर्गत दावा करने वाले किसी व्यक्ति को बेदखल कर सकेगा ।

(4) इस धारा के उपबन्ध सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।"

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 162 जनरल (लेग०)—1971, 1967+1859 (मे०) ।